श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जाखलौन पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम पिपरई में हत्या का सफल अनावरण कर एक अभियुक्त को मय आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया गया।

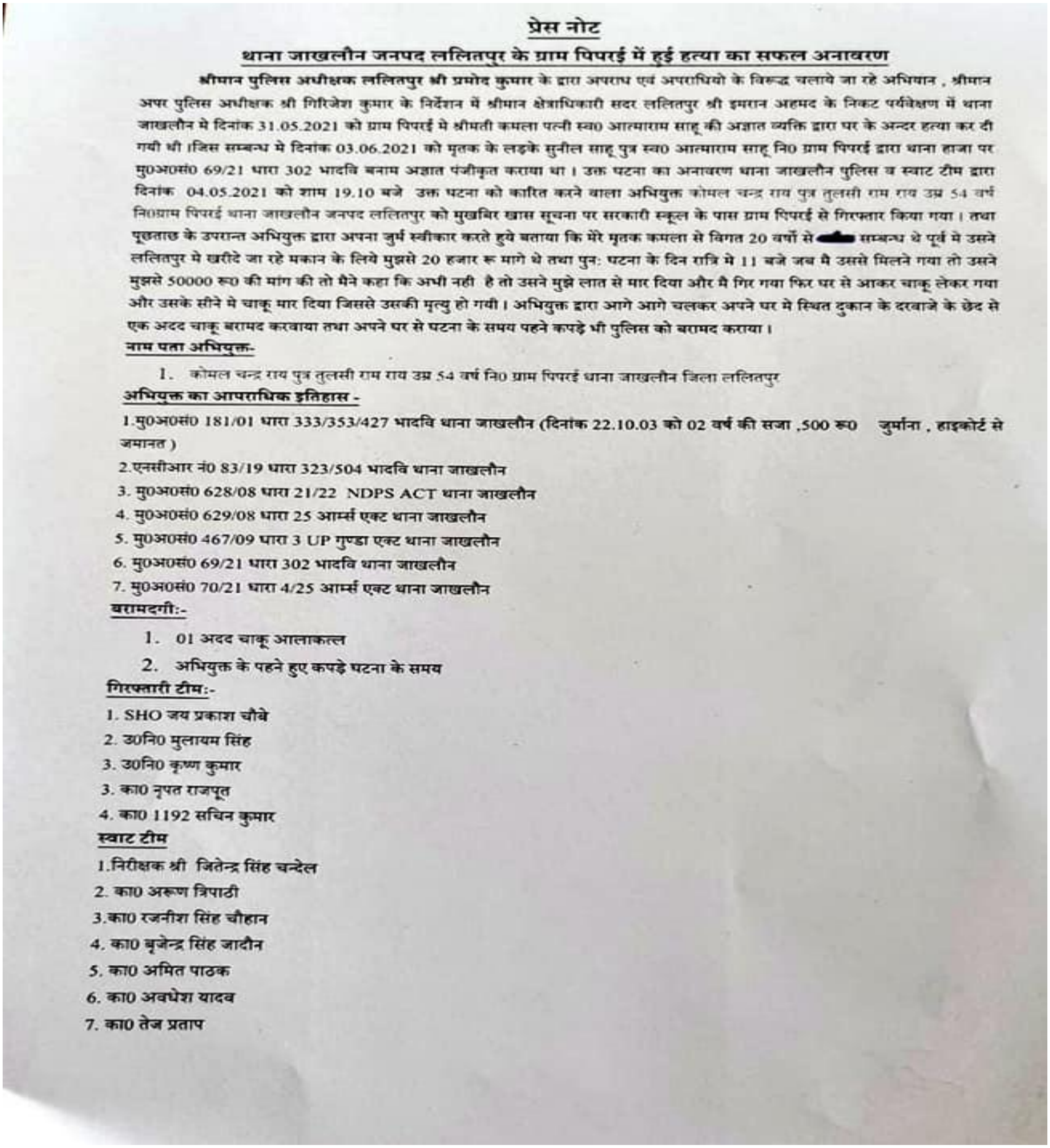

**प्रेस नोट**

**थाना जाखलौन जनपद ललितपुर के ग्राम पिपरई में हुई हत्या का सफल अनावरण**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान , श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री गिरिजेश कुमार के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर श्री इमरान अहमद के निकट पर्यवेक्षण में थाना जाखलौन मे दिनांक 31.05.2021 को ग्राम पिपरई मे श्रीमती कमला पत्नी स्व0 आत्माराम साहू की अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अन्दर हत्या कर दी गयी थी ।जिस सम्बन्ध मे दिनांक 03.06.2021 को मृतक के लड़के सुनील साहू पुत्र स्व0 आत्माराम साहू नि0 ग्राम पिपरई द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 69/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था । उक्त घटना का अनावरण थाना जाखलौन पुलिस व स्वाट टीम द्वारा दिनांक 04.05.2021 को शाम 19.10 बजे उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त कोमल चन्द्र राय पुत्र तुलसी राम राय उम्र 54 वर्ष नि0ग्राम पिपरई थाना जाखलौन जनपद ललितपुर को मुखबिर खास सूचना पर सरकारी स्कूल के पास ग्राम पिपरई से गिरफ्तार किया गया । तथा पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मेरे मृतक कमला से विगत 20 वर्षों से [redacted] सम्बन्ध थे पूर्व मे उसने ललितपुर मे खरीदे जा रहे मकान के लिये मुझसे 20 हजार रू मागे थे तथा पुन: घटना के दिन रात्रि मे 11 बजे जब मै उससे मिलने गया तो उसने मुझसे 50000 रू0 की मांग की तो मैने कहा कि अभी नही है तो उसने मुझे लात से मार दिया और मै गिर गया फिर घर से आकर चाकू लेकर गया और उसके सीने मे चाकू मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । अभियुक्त द्वारा आगे आगे चलकर अपने घर मे स्थित दुकान के दरवाजे के छेद से एक अदद चाकू बरामद करवाया तथा अपने घर से घटना के समय पहने कपड़े भी पुलिस को बरामद कराया ।

**नाम पता अभियुक्त-**

1. कोमल चन्द्र राय पुत्र तुलसी राम राय उम्र 54 वर्ष नि0 ग्राम पिपरई थाना जाखलौन जिला ललितपुर

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -**

1.मु0अ0सं0 181/01 धारा 333/353/427 भादवि थाना जाखलौन (दिनांक 22.10.03 को 02 वर्ष की सजा ,500 रू0 जुर्माना , हाइकोर्ट से जमानत )
2.एनसीआर नं0 83/19 धारा 323/504 भादवि थाना जाखलौन
3. मु0अ0सं0 628/08 धारा 21/22 NDPS ACT थाना जाखलौन
4. मु0अ0सं0 629/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जाखलौन
5. मु0अ0सं0 467/09 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना जाखलौन
6. मु0अ0सं0 69/21 धारा 302 भादवि थाना जाखलौन
7. मु0अ0सं0 70/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जाखलौन

**बरामदगी:-**

1. 01 अदद चाकू आलाकत्ल
2. अभियुक्त के पहने हुए कपड़े घटना के समय

**गिरफ्तारी टीम:-**

1. SHO जय प्रकाश चौबे
2. उ0नि0 मुलायम सिंह
3. उ0नि0 कृष्ण कुमार
3. का0 नृपत राजपूत
4. का0 1192 सचिन कुमार

**स्वाट टीम**

1.निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह चन्देल
2. का0 अरूण त्रिपाठी
3.का0 रजनीश सिंह चौहान
4. का0 बृजेन्द्र सिंह जादौन
5. का0 अमित पाठक
6. का0 अवधेश यादव
7. का0 तेज प्रताप

जनपद-ललितपुर